

नोट :-

- यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।
- आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी व उपश्रेणी के समर्थन में विहित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र की प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करेंगे जिसकी मूल प्रमाण-पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करेंगे।

(घ) शुल्क :- अभ्यर्थी सर्वप्रथम निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र के साथ निम्नानुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करेंगे :-

क्र. सं.	श्रेणी	शुल्क
1	सामान्य वर्ग/ओबीसी0 वर्ग के अभ्यर्थी	₹750/- मात्र
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांग/उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे के अभ्यर्थियों के लिए	₹500/- मात्र

आवेदन शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से होगा जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या राज्य के जिला सहकारी बैंक या उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, के बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो सचिव/महाप्रबन्धक, उत्तरकाशी जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तरकाशी के पक्ष में देय हो, आवेदन पत्र के साथ मूल रूप में संलग्न किया जायेगा। शुल्क वापसी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ड.) चयन की प्रक्रिया :- वर्ग-4(सहयोगी/गार्ड) के पदों पर चयन हेतु कुल 50 अंक निर्धारित होंगे। अंको का विभाजन निम्नानुसार होगा :-

- (1) हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्त प्रथम श्रेणी अथवा "ए" ग्रेड हेतु 15 अंक, द्वितीय श्रेणी अथवा "बी" ग्रेड हेतु 13 अंक तथा तृतीय श्रेणी अथवा "सी" व उससे निम्न उत्तीर्ण ग्रेड हेतु 11 अंक निर्धारित होंगे।(नोट : ग्रेड-ए में सभी प्रकार की ए-ग्रेडिंग, ग्रेड-बी में सभी प्रकार की बी-ग्रेडिंग तथा ग्रेड-सी व उससे निम्न में सभी प्रकार की सी-ग्रेडिंग व उससे निम्न जो ग्रेडिंग हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण के लिए निर्धारित हो)।
- (2) सहकारी संस्थाओं/सहकारी परियोजनाओं/सहकारिता विभाग में अनुभव हेतु अधिकतम 10 अंक (अनुभव एक वर्ष के लिए 02 अंक व अधिकतम 05 वर्ष के लिए 10 अंक)
- (3) पाठ्योत्तर में जिला/राज्य स्तर,राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता अथवा अन्य विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 05 अंक)।
- (4) शारीरिक दक्षता के 10 अंक, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 100 मीटर दौड़ हेतु अधिकतम 05 अंक बैठक हेतु अधिकतम 05 अंक एवं महिला अभ्यर्थियों हेतु 50 मीटर दौड़ हेतु अधिकतम 05 अंक व रस्सी कूद हेतु अधिकतम 05 अंक।

(नोट :- दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को छूट प्रदान की जायेगी)

- (5) साक्षात्कार के 10 अंक।

(च) चयन सूची :-

(i) साक्षात्कार व अन्य मूल्यांकन के अंको का कुल योग से जैसा प्रकट हो, प्रवीणता सूची (अन्तिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर अंक प्राप्त करें तो सम्बन्धित जिले के मूल निवासी को वरीयता प्रदान की जायेगी। यदि अभ्यर्थी एक ही जिले के हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(ii) यदि किसी अभ्यर्थी के चयनोपरान्त उसे नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाये तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा चयनित पद पर योगदान नहीं किया जाता है तो उस पद को अगले चयन वर्ष के लिए अग्रणीत कर दिया जायेगा।

आवेदन पत्रों का प्रेषण :-

1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे।
2. पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र के समस्त वांछित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति सहित दिनांक 11 जनवरी 2021 तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा "सचिव/महाप्रबन्धक, उत्तरकाशी जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तरकाशी मुख्यालय माल रोड़ उत्तरकाशी, पो0ओ0 उत्तरकाशी, पिन कोड 249193 जनपद- उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)" के कार्यालय में प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर "वर्ग-4 (सहयोगी/गार्ड) भर्ती 2020-21 तथा श्रेणी व उपश्रेणी स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है।
3. साधारण डाक/कोरियर अथवा सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर स्वप्रमाणित नवीन पासपोर्ट साइज का फोटो जिसमें उनके स्पष्ट हस्ताक्षर एवं तिथि अंकित हो, चस्पा करेंगे।
5. अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ 9 X 4 साइज का एक खाली लिफाफा पर अपने पत्र व्यवहार का पता लिखकर पंजीकृत डाक हेतु निर्धारित डाक टिकट चस्पा कर संलग्न करेंगे(लिफाफे पर डाक टिकट चस्पा करना अनिवार्य है)।

6. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
- अभ्यर्थी के उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवासी का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मूल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
 - शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति।
 - सहकारी संस्थाओं/सहकारी परियोजनाओं/सहकारिता विभाग में अनुभव यदि हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
 - सेवायोजित होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।
 - पाठ्योत्तर में जिला/राज्य स्तर, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता अथवा अन्य विशिष्ट उपलब्धियों की प्रमाणित छायाप्रति।
7. अपूर्ण रूप से भरे गये आवेदन पत्र एवं बिना प्रमाण पत्रों के प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जायेगा।
8. यदि डाक व्यवस्था के कारण आवेदन पत्र अन्तिम तिथि तक बैंक कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी।

अन्य -

- 1- ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, अपात्र माने जायेंगे।
- 2- अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध किसी नैतिक अपराध का दोष सिद्ध हो चुका हो, नियुक्ति हेतु अपात्र माने जायेंगे।
- 3- केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/किसी स्थानीय निकाय अथवा निगम से सेवाच्युत अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- 4- अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 5- अभ्यर्थी द्वारा चयन के लिए किसी भी प्रकार के अनैतिक दबाव को उसकी अयोग्यता समझा जायेगा।

सचिव/महाप्रबन्धक
उत्तरकाशी जिला सहकारी बैंक लि0,
उत्तरकाशी।